न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व वाद संख्या 05/2023 अन्तर्गत धारा 88 RT Act.

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
भोमप्रकाश पुत्र आदाराम उर्फ आईदानराम नाबालिग जरिये वलिया माता वीरीदेवी जाति भील, निवासी हड़वा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादी – श्री जेठाराम कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 14.02.2024

संक्षेप में वादी के वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी की पैतृक खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि मौजा हड़वा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 770/119 रकबा 1.6651 हैक्टेयर अवस्थित है। उक्त विवादित आराजी वादी को विरासत में प्राप्त हुई है। उक्त विवादित आरजी के विरासती नामांतरकरण से खातेदारी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम सगताराम पुत्र आईदानराम अंकित कर दिया गया जबकि वादी का सही एंव वास्तविक नाम भोमप्रकाश पुत्र आदाराम है। वादी के समस्त दस्तावेजात में यथा आधार कार्ड, विद्यालय अंकतालिका, राशनकार्ड व अन्य दस्तावेजात में उसका सही एवं वास्तविक नाम भोमप्रकाश पुत्र आदाराम दर्ज है। किन्तु राजस्व रेकर्ड में वादी के नाबालिग होने से उसके रिशतेदारों द्वारा गलत नाम सगताराम पुत्र आईदानराम दर्ज करवा दिया गया, जबकि वादी को इसका सर्वप्रथम ज्ञान हाल ही में हुआ है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में त्रूटिपूर्ण प्रविष्टि अंकित होने से वादी द्वारा अपनी खातेदारी में अपने सही नाम की घोषणा करवाने का अधिकारी होने एवं भूमि विकास बैंक से सहायता/ऋण प्राप्त करने एवं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने हेतु वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में सगताराम पुत्र आईदानराम के स्थान पर भोमप्रकाश पुत्र आदाराम नाम घोषित करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद पंजीयन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। उक्त नाम दुरस्ती के संबंध में तहसीलदार शिव से जांच रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव द्वारा सगताराम पुत्र आईदान व भोमप्रकाश पुत्र आदाराम दोनों नाम से एक ही व्यक्ति होना बताते हुए वादी का नाम सगताराम पुत्र आईदान के स्थान पर भोमप्रकाश पुत्र आदाराम किया जाना उचित बताया गया है।

वादी एवं वादी के नाबालिग होने पर उनकी माता वीरोदेवी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप स्वयं का बयान शपथ पत्र पेश किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा वादी का वास्तविक नाम भोमप्रकाश पुत्र आदाराम होने के समर्थन में दस्तावेज यथा आधारकार्ड, विद्यालय अंकतालिका, राशनकार्ड व अन्य दस्तावेज पेश किये गये।

दौरान बहस अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम सगताराम पुत्र आईदान के स्थान पर भोमप्रकाश पुत्र आदाराम होना घोषित करते हुए तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

हमने वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन करने पर राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम सगताराम पुत्र आईदान दर्ज है, जबकि वादी द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, विद्यालय अंकतालिका, राशन कार्ड आदि में वादी का नाम भोमप्रकाश पुत्र आदाराम दर्ज है। वादी द्वारा अपने नाम की घोषणा के समर्थन में पेश बयान शपथ पत्र से भी वादी का नाम सगताराम पुत्र आईदान के स्थान पर भोमप्रकाश पुत्र आदाराम किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव द्वारा भी वादी का नाम सगताराम पुत्र आईदान के स्थान पर भोमप्रकाश पुत्र आदाराम किये जाने की अनुशंषा की गई है। वादी अधिवक्ता द्वारा भी उक्तानुसार नाम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम सगताराम पुत्र आईदान के स्थान पर भोमप्रकाश पुत्र आदाराम दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा हड़वा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 770/119 रकबा 1.6651 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड की शेष समस्त प्रविष्टियां यथावत रखते हुए वादी का नाम सगताराम पुत्र आईदान के स्थान पर भोमप्रकाश पुत्र आदाराम होना घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 14.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव